अपील सूचना अधिकार संख्या 133/2016 अनवानी श्री अजयपाल मितल (पत्रकार) बार्ड न0 17, मण्डी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर लोक सूचना अधिकारी, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अजय कुमार मितल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अजयकुमार मितल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2016 के द्वारा कोजूराम पुत्र सुरजाराम जाति चमार निवासी पंडितावाली की पत्रावली संख्या 1117/22.11.78 के संबंध में 3 बिन्दुओ में अंकित अलग–2 सभी बिन्दुओं पर सूचना चाही थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं0 65 दिनांक 27.05.16 व 97 दिनांक 28.06.16 के द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सरूतगढ द्वारा प्रतिवेदन सं0 166 दिनांक 29.08.16 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 18.05.16 को प्राप्त हुआ है जिस पर पत्र सं0 65 दिनांक 27.05.16 के द्वारा निर्धारित फीस जमा करवाने के लिए लिखा गया। जस पर उनके कार्यालय में उपस्थित नही होने पर उनके द्वारा पत्रावली की निशुल्क प्रतियां जारी कर पत्र सं0 147 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सरूतगढ द्वारा उक्त प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत पत्रो की प्रतियों के अनुसार पत्र संख्या 65 दिनांक 27.05.16 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंबिक प्रार्थना पत्र द्वारा आपने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है। चाहे जाने रिकार्ड में आवंटन अधिकारी का पूर्ण विवरण पदनाम सहित एवं निर्णय दिनांक अंकित नही होने से चाहा गया रिकार्ड उपलब्ध नही हो रहा है। अवगत करावे ताकि पत्रावली तलाश की जाकर कार्यवाही की जा सके।

तत्पश्चात लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 97 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा अपीलार्थी को हाजिर होकर फीस जमा करवाने के लिए लिखा गया एवं बाद में चाही गई सूचना निशुल्क जारी कर पत्र सं0 147 दिनांक 05.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवाई गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोकर सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार एवं उपजिला कलक्टर, सरूतगढ व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 23.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर